



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 मई 2012—वैशाख 15, शक 1934

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. 2569-178-इकीस-अ(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 मई, 2012 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१२

### मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन ( संशोधन ) अधिनियम, २०१२

विषय-सूची.

धाराएँ :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ४ का संशोधन.
३. धारा ४-ख का संशोधन.
४. धारा ४-ग का संशोधन.
५. धारा ५ का संशोधन.
६. धारा ५-ख का संशोधन.
७. धारा ६-क का संशोधन.
८. धारा ६-ख का संशोधन.
९. धारा ६-ग का संशोधन.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २३ सन् २०१२

### मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१२

[दिनांक ३ मई, २०१२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति "मध्यप्रदेश राजापत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ मई, २०१२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है।

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ७ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में शब्द "सोलह हजार" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार" स्थापित किये जाएँ।

धारा ४-ख का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४-ख में, शब्द "चार हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किये जाएँ।

धारा ४-ग का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४-ग में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किये जाएँ।

धारा ५ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ५ में, शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किये जाएँ।

धारा ५-ख का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ५-ख में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाएँ। अर्थात्—

"(३) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई सदस्य मध्यप्रदेश राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है, तो वह ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराए की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसी यात्राओं की कुल संख्या प्रतिवर्ष चौंतीस से अधिक नहीं होगी।"

धारा ६-क का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ६-क में, उपधारा (१) में,—

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द "सात हजार" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह हजार" स्थापित किए जाएँ;

(दो) प्रथम पंतुक में, शब्द "तीन सौ" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" स्थापित किए जाएँ।

धारा ६-ख का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ६-ख में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएँ।

धारा ६-ग का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ६-ग में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएँ।

भोपाल, दिनांक 5 मई 2012

क्र. 2570-178-इकीस-अ (प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 23 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 23 OF 2012

### THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

#### TABLE OF CONTENTS

##### *Sections*

1. Short title.
2. Amendment of section 4.
3. Amendment of section 4-B.
4. Amendment of section 4-C.
5. Amendment of section 5.
6. Amendment of section 5-B
7. Amendment of section 6-A.
8. Amendment of section 6B.
9. Amendment of section 6-C.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 23 OF 2012

### THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2012

[Received the assent of the Governor on the 3rd may, 2012 assent first published in the ‘‘Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)’’, dated the 5th May, 2012.]

#### **An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follow:—

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.   | Short title.              |
| 2. In section 4 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words “Sixteen thousand”, the words “twenty five thousand” shall be substituted. | Amendment of section 4.   |
| 3. In section 4-B of the principal Act, for the words “four thousand”, the words “ten thousand” shall be substituted.   | Amendment of section 4-B. |
| 4. In section 4-C of the Principal Act, for the words “five thousand”, the words “ten thousand” shall be substituted.   | Amendment of section 4-C. |

**Amendment of section 5.**

5. In section 5 of the Principal Act, for the words “five hundred”, the words “one thousand” shall be substituted.

**Amendment of section 5-B**

6. In section 5-B of the Principal Act, after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) Without prejudice to the provisions of this Act, where a member travels by air within the State of Madhya Pradesh from one place to another, he shall be entitled to reimbursement of the air fare of such journey:

Provided that the total number of such journeys under this sub-section shall not be more than thirty four per year.”.

**Amendment of section 6-A.**

7. In section 6-A of the principal Act, in sub-section (1),—

- (i) in the opening paragraph, for the words “seven thousand”, the words “fifteen thousand” shall be substituted;
- (ii) in the first proviso, for the words “three hundred”, the words “five hundred” shall be substituted.

**Amendment of section 6-B.**

8. In section 6-B of the principal Act, for the words “five thousand”, the words “ten thousand” shall be substituted.

**Amendment of section 6-C.**

9. In section 6-C of the principal Act, for the words “five thousand”, the words “ten thousand” shall be substituted.